

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 20 / 2023

GCMS NO. : 2023 / 80

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर
समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया बनाम
रोड, बांसवाड़ा

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005


दिनांक :- 29-11-2023


प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 09-10-2023 (पोस्टल ऑर्डर नं. 60 एफ 516880) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 20-11-2023 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 29-11-2023 को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने पत्रांक 40(1) आरटीआई/ 2023/ 293 दिनांक 21-11-2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना पेश कर

अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 09-10-2023 से वांछित सूचना के सन्दर्भ में




जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)


अपीलार्थी को पत्रांक 40(1) (2) आरटीआई/ 2023/ 281 दिनांक 31-10-2023 से नियमानुसार शूल्क जमा करा सूचना प्राप्त करने अवगत कराने पर अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त कर ली है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 09-10-2023 को प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी ने इस आशय से यह अपील प्रस्तुत की है कि अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रस्तुत जवाब और उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने अपीलार्थी को पत्रांक 40(1)(2) आरटीआई/ 2023/ 281 दिनांक 31-10-2023 से नियमानुसार शूल्क जमा करा सूचना प्राप्त करने अवगत कराने पर अपीलार्थी स्वयं ने सूचना प्राप्त की है। जिस पर अपीलार्थी के प्राप्ति हस्ताक्षर है। इस प्रकार रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार निर्धारित अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29-11-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)